जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–पुलिस लाईन बिजनौर दिनांक- 05.05.2025

दिनांक 03.05.2025 से 05.05.2025 तक आयोजित बरेली जोन की अन्तर्जनपदीय पुलिस बास्केटबॉल एवं हैण्डबॉल प्रतियोगिता का समापन श्री अभिषेक, पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बिजनौर द्वारा किया गया तथा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।

महिला हैण्डबॉल :-

हैण्डबॉल का फाइनल मैच जनपद बिजनौर व शाहजहांपुर के बीच खेला गया, जिसमें शाहजहांपुर की टीम ने विजय प्राप्त की।

पुरूष हैण्डबॉल :-

हैण्डबॉल का फाइनल मैच जनपद बिजनौर एवं शाहजहांपुर के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर ने विजय प्राप्त की।

महिला बास्केटबॉल :-

बास्केटबाल का फाइनल मैच जनपद बदायूँ एवं शाहजहांपुर के बीच खेला गया, जिसमें शाहजहांपुर ने विजय प्राप्त की।

पुरूष बास्केटवॉल :-

बास्केटबाल का फाइनल मैच जनपद बिजनौर व मुरादाबाद के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर ने विजय प्राप्त की।

प्रेस नोट–जनपद बिजनौर दिनॉक 05.05.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 20.11.2023 को वादिया ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त ओमपाल पुत्र बत्तू सिंह निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर वादिया के पिता के सिर मे बुग्गी का खलवा (डन्डा) मारकर घायल कर दिया जिससे वादिया के पिता की मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 254/23 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 05.05.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-1, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त ओमपाल पुत्र बत्तू सिंह निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर को धारा 304 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

ओमपाल पुत्र बत्तू सिंह निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 05.05.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	अफजलगढ	खुर्शीद पुत्र अ0 लतीफ निवासी ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2	अफजलगढ	छोटे पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम अगदपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।
3	अफजलगढ	छतरपाल पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम केहरीपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।
4	अफजलगढ	केला देवी पत्नी कृपाल सिंह निवासी ग्राम केहरीपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।
5	अफजलगढ	तारा देवी पुत्री कृपाल सिंह निवासी ग्राम केहरीपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।
6	अफजलगढ	छोटेलाल पुत्र कालू लाल नि0 ग्राम गुल्लर कोजी थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड
7	अफजलगढ	मुन्शी पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम केहरीपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।
8	नांगल	दीपू पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम ढोलापुरी थाना नांगल जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना हीमपुर दीपा दिनांक- 05.05.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 61/2025 धारा 352/351(3)/305/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.05.2025 को वादी ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.निक्की पुत्र महेन्द्र सिंह व 2.सुमित पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम स्याऊ चाँदपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर वादी के घर मे कमरे की अलमारी मे रखे सोना / चाँदी के आभूषण चुरा रहे थे कि वादी ने शोर मचाते हुए इन्हे पकडने का प्रयास किया तो दोनो अभियुक्तगण वादी को धक्का देकर गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुये भागने लगे जिन्हे भागते हुए आसपास के लोगों द्वारा पकड लिया गया तथा जिनके पास से 01 सोने का ओम का लोकेट, 01 सोने की कान की बाली, 03 जोड़ी चाँदी की पायल बरामद हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 61/25 धारा 352/351(3)/305/317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण निक्की व सुमित उपरोक्त को 01 पीली धातु का ओम का लोकेट, 01 पीली धातु की कान की बाली व 03 जोड़ी सफेद धातु की पायल सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.निक्की पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम स्याऊ चाँदपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।

2.सुमित पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम स्याऊ चाँदपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

01 पीली धातु का ओम का लोकेट, 01 पीली धातु की कान की बाली व 03 जोड़ी सफेद धातु की पायल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. मुख्य आरक्षी कृष्णपाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2. हो0गा0 ललित थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।